

प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप

सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश

भारत संचार निगम लिमिटेड इन्दौर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में परीक्षण उपरान्त महु से धामनोद ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने का कार्य वनभूमि में कराना जाना दर्शाया गया है। जन कल्याणकारी उक्त योजना के प्रस्तावित महु से धामनोद के बीच एक रेखण ओ.एफ.सी. केबल डालने से वनमण्डल बड़वाह के वन क्षेत्र परिक्षेत्र काकडदा कक्ष क्रमांक 15 में लंबाई 640 मीटर एवं चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.40 मीटर, रकबा 0.032 हेक्टेयर क्षेत्र में कोई भी वृक्ष काटा नहीं जावेगी। पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, योजना की अनुमति जारी करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करने की अनुशंसा की जाती है।


(सी.एस.चौहान)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह